

[2024] 5 एससीआर 404 : 2024 आईएनएससी 333

आर्केडिया शिपिंग लिमिटेड

बनाम

टाटा स्टील लिमिटेड व अन्य

(सिविल अपील सं. 5599/2024)

16 अप्रैल 2024

[न्या. संजीव खन्ना* एवं न्या. दीपांकर दत्ता]

विचारणीय विवादक

क्या दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को अपास्त करना सही था कि दिल्ली उच्च न्यायालय की कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है।

शीर्ष टिप्पणियां

क्षेत्रीय अधिकारिता - भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड (अब टाटा स्टील लिमिटेड) द्वारा वाद - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20(ग) - दायरा, समझाया गया।

अभिनिर्धारित: सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 20(ग) वादी को उस क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर वाद दायर करने का अधिकार देती है जिसके अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वाद हेतुक, पूर्णतः या आंशिक रूप से उद्भूत होते हैं - वाद हेतुक की स्थिति, यहां तक कि आंशिक रूप से भी, उस न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान करेगी - दो लेन-देन हुए थे - एक दिल्ली में गैल्वनाइज्ड स्टील के माल की बिक्री का तथा दूसरा मुंबई से जिबूती, इथियोपिया तक आर्केडिया द्वारा माल की शिपमेंट का - हालांकि आर्केडिया की भागीदारी केवल दूसरे लेन-देन तक ही सीमित थी, लेकिन लेन-देन आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए थे - आपूर्ति का ऑर्डर दिल्ली में दिया गया था तथा भुगतान दिल्ली में जारी किया जाना था - हालांकि, माल की बिक्री तथा फिर उनकी शिपमेंट (मुंबई से जिबूती) संबंधित एवं तुल्यकालिक थी - इसलिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के पास सि.प्र.सं. की

धारा 20(ग) के तहत अधिकारिता है क्योंकि वाद हेतुक आंशिक रूप से दिल्ली में उत्पन्न हुआ था [पैरा 7, 8, 10, 13 व 14]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 1, नियम 3 एवं 7- का दायरा समझाया गया।

अभिनिर्धारित: सि.प्र.सं. के आदेश 1 नियम 3 में यह प्रावधान है कि वादी एक वाद में उन सभी व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल कर सकता है जिनके विरुद्ध वादी एक ही कार्य या लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला के संबंध में या उससे उद्भूत होने वाले अनुतोष के अधिकार का दावा करता है - दावा अर्थात् प्रतिवादी संयुक्त, कई या वैकल्पिक रूप से हो सकते हैं - एक सिविल वाद दायर करना अनुमत है, भले ही, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अलग-अलग वाद लाए जा सकते हैं, जब विधि एवं तथ्य के सामान्य प्रश्न उठते हैं - सि.प्र.सं. के आदेश 1 नियम 7 में वादी को दो या अधिक प्रतिवादीगण को शामिल करने की अनुमति है ताकि यह प्रश्न कि प्रतिवादीगण में से कौन उत्तरदायी है, तथा किस सीमा तक, एक वाद में तय किया जा सकता है - सि.प्र.सं. के आदेश 1, नियम 3 व 7 के अनुसार, भूषण स्टील के लिए आर्केडिया सहित सभी प्रतिवादीगण को एक ही वाद में शामिल करना अनुमत था - सभी प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाए बिना वाद हेतुक तय नहीं किया जा सकता था - इस प्रकार, सि.प्र.सं. के आदेश 1 नियम 3 के अनुसार, भूषण स्टील द्वारा दावा किये गये अनुतोष सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध है, भले ही अलग-अलग सीमा तक और लेनदेन की एक श्रृंखला से उत्पन्न हो [पैरा 11, 12 एवं 13]

लदान पत्र - उद्देश्य, समझाया गया।

अभिनिर्धारित: लदान पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है: (क) यह भेजे गए माल की रसीद है और जिन शर्तों पर उन्हें प्राप्त किया गया है; (ख) यह माल की ढुलाई की संविदा का साक्ष्य है; तथा (ग) यह इसमें निर्दिष्ट माल के लिए स्वत्व का एक दस्तावेज है। [पैरा 8]

क्षेत्रीय अधिकारिता - प्रश्न - किस चरण पर निर्णय लिया जाएगा - प्रारंभ में।

अभिनिर्धारित: क्षेत्रीय अधिकारिता के मुद्दे को मामले के समाधान तक टालने के बजाय शुरू में ही तय किया जाना चाहिए। [पैरा 15]

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

प्रमुख शब्दों की सूची

क्षेत्रीय अधिकारिता, लदान पत्र, डोमिनस लिटिस, साख पत्र, माल की बिक्री।

से उद्भूत मामलें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयन: सिविल अपील सं. 5599/2024 आ.प्र.अ. (मू.प.) (वाणि.) 19/2019 में नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 08.01.2024 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थितियां

ई.आर. कुमार, डी. पी. मोहंती, सुश्री सोनल गुप्ता, सुश्री मनीषा आर्य, अभिषेक ठकराल, मेसर्स पारेख एंड कंपनी, वादी की ओर से अधिवक्तागण।

जॉय बसु, शशांक गौतम, अरविंद थपलियाल, सूर्य कपूर, सुश्री सरवना वसंत, सिद्धांत पांडे, राजेश बनाती, आशीष सरीन, अनूप जॉर्ज, कुणाल चटर्जी, सुश्री आगम कौर, प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

संजीव खन्ना, न्या.

अनुमति प्रदानित।

2. यह आदेश कारण बताता है तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रश्न पर निर्णय देता है।
3. हम मामले के तथ्यों एवं वादपत्र - वाद सं. 458/2000 में दी गई अभिवचनों का संक्षेप में उल्लेख करके शुरू करते हैं।
 - मूल वादी भूषण स्टील एंड स्ट्रिप्स लिमिटेड है। भूषण स्टील का टाटा स्टील लिमिटेड (इस न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी सं. 1) के साथ विलय हो गया है।

- प्रतिवादी सं. 1-4 हैं, टीवाईओ ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज (इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं. 2), कमर्शियल बैंक ऑफ इथोपिया (इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं. 3), आर्केडिया शिपिंग लिमिटेड (इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता) तथा एम.जी. ट्रेडिंग वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड (इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी सं. 4)।
- भूषण स्टील, अन्य बातों के साथ-साथ, गैल्वेनाइज्ड स्टील कोरुगेटेड शीट्स का निर्माता था।
- टीवाईओ ट्रेडिंग इथियोपिया स्थित एक कंपनी थी, जिसने अपने एजेंट एम.जी. ट्रेडिंग को भूषण स्टील के साथ गैल्वेनाइज्ड स्टील कोरुगेटेड शीट्स हेतु कुछ आपूर्ति ऑर्डर देने का निर्देश दिया था।
- तदनुसार, एम.जी. ट्रेडिंग ने दिल्ली स्थित भूषण स्टील को 400 मीट्रिक टन गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉरुगेटेड शीट्स की आपूर्ति हेतु ऑर्डर दिया।
- टीवाईओ ट्रेडिंग ने शुरुआत में अपने एजेंट एम.जी. ट्रेडिंग के पक्ष में साख पत्र खोला था।
- इसके बाद, भूषण स्टील के नाम पर साख पत्र हस्तांतरित कर दिया गया, जिसके अनुसार, आपूर्ति आदेश के अनुसार, भूषण स्टील द्वारा सामग्री भेज दी गई।
- यह सामग्री जहाज़ के शिपर्स, आर्केडिया द्वारा अपने जहाज - विन्को पायनियर में भारत के मुम्बई बंदरगाह से इथियोपिया के जिबूती बंदरगाह तक लादी गई थी।
- आर्केडिया ने दो लदान पत्रों के माध्यम - (i) लदान पत्र सं. डीजेबी-06/200 मीट्रिक टन गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉरुगेटेड शीट्स के लिए तथा (ii) लदान पत्र सं. डीजेबी-07/198 मीट्रिक टन गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉरुगेटेड शीट्स के लिए शिपमेंट किया।
- शिपिंग के लिए माल ढुलाई शुल्क का भुगतान भूषण स्टील द्वारा आर्केडिया को अग्रिम रूप से कर दिया गया था।
- आर्केडिया को बैंक ऑफ इथोपिया के आदेश पर माल पहुंचाने का निर्देश दिया गया था, जिसके पास भूषण स्टील ने अपने बैंकों पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से दस्तावेज जमा किए थे। दस्तावेजों पर साख पत्र के तहत परक्रामित (नेगोशिएट) की जानी थी।

- पीएनबी ने भुगतान हेतु उक्त दस्तावेज बैंक ऑफ इथियोपिया को भेजे थे। भूषण स्टील ने साख पत्र को भुनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं।
- हालांकि, बैंक ऑफ इथियोपिया ने विसंगतियों के आधार पर ऋण पत्र को भुनाने से इनकार कर दिया।
- दिनांक 25.08.1999 के फैक्स संदेश के माध्यम से, भूषण स्टील को आर्केडिया द्वारा सूचित किया गया था कि दोनों शिपमेंट को माल प्राप्तकर्ता, टीवाईओ ट्रेडिंग को जारी कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने बैंक ऑफ इथियोपिया द्वारा समर्थित एक लदान पत्र को विधिवत प्रस्तुत किया था।
- दिनांक 07.09.1998 के पत्र के माध्यम से, टीवाईओ ट्रेडिंग ने एमजी ट्रेडिंग के माध्यम से भूषण स्टील को सूचित किया कि उन्होंने भुगतान कर दिया है, जिसे बैंक ऑफ इथियोपिया द्वारा जारी किया जाएगा।
- भूषण स्टील को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। सामग्री वितरित कर दी गई तथा उसे भूषण स्टील को वापस नहीं भेजा जा सका।
- इस प्रकार, प्रतिवादीगण ने विरोधाभासी रुख अपनाया था। जबकि टीवाईओ ट्रेडिंग ने कहा था कि उन्होंने माल के लिए भुगतान किया था, बैंक ऑफ इथियोपिया ने साख पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अर्काडिया ने कहा था कि लदान पत्र की प्रस्तुति पर टीवाईओ ट्रेडिंग को सामग्री जारी की गई थी, जिसे बैंक ऑफ इथियोपिया द्वारा विधिवत समर्थन दिया गया था। इसके अलावा, पीएनबी ने लदान पत्र सहित मूल दस्तावेज भूषण स्टील को यह कहते हुए वापस कर दिए थे कि उन्हें बैंक ऑफ इथियोपिया द्वारा साख पत्र के किसी भी भुनाई के बिना ये दस्तावेज प्राप्त हुए थे।
- वादपत्र के पैराग्राफ 22 तथा 29 को निम्नलिखित बताया गया है:

"22. इस प्रकार तथ्य यह है कि उक्त लदान पत्र का भुगतान वादी को नहीं किया गया है तथा वादी को अभी भी भुगतान किया जाना बाकी है और वादी 2,76,510 अमेरिकी डॉलर की राशि हेतु पूरी तरह से हकदार है जो कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 की देयता है यदि प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रतिवादी सं. 2 से विधिवत पृष्ठांकित लदान पत्र

प्राप्त करने के बाद माल को सही तरीके से छोड़ा गया है, लेकिन यदि माल पृष्ठांकन प्राप्त किए बिना छोड़ा गया है तो प्रतिवादी सं. 1, 2 व 3 का संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग वादी के प्रति भुगतान करने का दायित्व है क्योंकि प्रतिवादी सं. 2 किसी भी परिस्थिति में अपने दायित्व से बच नहीं सकता है क्योंकि यदि प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी के पक्ष में विधिवत हस्तांतरित अपरिवर्तनीय साख पत्र जारी नहीं किया गया होता, तो वादी ने उक्त माल की आपूर्ति नहीं की होती और चूंकि इस तथ्य के बावजूद कि अपरिवर्तनीय साख पत्र की आपूर्ति की सभी शर्तें वादी द्वारा पूरी की गई थीं, प्रतिवादी सं. 2 ने भुगतान नहीं किया है, इसलिए प्रतिवादी सं. 2 का दायित्व सभी स्थितियों में बना रहता है तथा प्रतिवादी सं. 3 का दायित्व उत्पन्न होता है यदि उन्होंने प्रतिवादी सं. 2 से पृष्ठांकन प्राप्त किए बिना माल वितरित किया होता तथा इस तरह अपने दायित्व से बचने के लिए प्रतिवादी सं. 3 को यह स्थापित तथा सिद्ध करना होता है कि उनके पास प्रतिवादी सं. 2 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में उक्त माल जारी करने हेतु विधिवत पृष्ठांकित मूल लदान पत्र है, अन्यथा प्रतिवादी सं. 3 भुगतान के लिए अपने दायित्व से बच नहीं सकता है। ऐसा इसलिए है कि प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में उनके द्वारा दिनांक 29 अगस्त, 1999 को भेजे गए फैक्स द्वारा पुष्टि की गई थी।

XXX XXX XXX

29. यह कि वाद हेतुक पहली बार तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 4 ने प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादी के पक्ष में दिए गए उक्त आदेश को सौंप दिया; पुनः दिनांक 23 जून, 1998 को उत्पन्न हुआ जब माल प्रतिवादी सं. 1 को दिया गया और प्रतिवादी सं. 3 को भेज दिया गया; पुनः दिनांक 7 सितम्बर, 1998 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 को भुगतान कर देने की पुष्टि की तथा भुगतान शीघ्र जारी करने का आश्वासन दिया; पुनः

दिनांक 23 अगस्त, 1999 को तब उत्पन्न हुआ जब दस्तावेज वादी को वापस कर दिए गए, जब वादी ने माल की स्थिति के बारे में पूछताछ की; पुनः दिनांक 25 अगस्त, 1999 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी सं. 3 ने प्रतिवादी सं. 1 को माल तथा प्रतिवादी सं. 2 के प्राधिकार की डिलीवरी की पुष्टि की और अंततः दिनांक 29 नवम्बर, 1999 को उत्पन्न हुआ, जब विधिक नोटिस के बावजूद प्रतिवादी भुगतान जारी करने में विफल रहे तथा यह जारी रहने वाला है।”

इस तरह, यह अभिवचन दिया गया कि यदि लदान पत्र पर बैंक ऑफ इथियोपिया द्वारा समर्थन किया गया था, तो वे उत्तरदायी होंगे। अर्काडिया उत्तरदायी होगा यदि वे यह स्थापित करने तथा सिद्ध करने में सक्षम नहीं थे कि मूल लदान पत्र को बैंक ऑफ इथियोपिया द्वारा विधिवत पृष्ठांकित किया गया था।

- तदनुसार, प्रतिवादीगण संयुक्त एवं अलग-अलग रूप से उत्तरदायी थे।
- क्षेत्रीय अधिकारिता से संबंधित वाद का अनुच्छेद 30 निम्नानुसार है:

“वाद हेतुक दिल्ली में उद्भूत हुआ क्योंकि आदेश दिल्ली में दिया गया था तथा भुगतान दिल्ली में जारी किया जाना था, इसलिए इस माननीय न्यायालय को वर्तमान वाद पर विचार करने एवं निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।”

भूषण स्टील ने इस प्रकार अभिवचन दिया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के पास वाद का निर्णय करने की क्षेत्रीय अधिकारिता है।

4. दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 20.12.2017 निर्णय/आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किये हैं।

- बैंक ऑफ इथियोपिया ने विसंगतियों के कारण साख पत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था क्योंकि माल देरी से भेजा गया था तथा दस्तावेज परक्रामित के बाद प्रस्तुत किए गए थे।
- सामान छोड़ दिया गया तथा भूषण स्टील के माल को वापस बुलाने के प्रयासों के बावजूद, सामान को वापस नहीं लिया जा सका।

- टीवाईओ ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज का पता नहीं चल सका था तथा उन्हें एक-पक्षीय रूप से आगे बढ़ाया गया था।
- आर्केंडिया ने माल को लोड तथा भेजा गया था, हालांकि, वे इथियोपिया में वास्तविक प्राप्तकर्ता के बारे में पता करने में विफल रहे। आर्केंडिया भूषण स्टील को उनके उचित अनुपालन के बारे में सूचित करने में विफल रहा। जिस व्यक्ति को माल जारी किया गया था, उसके बारे में आर्केंडिया ने विरोधाभासी और असंगत रुख अपनाया था। लदान पत्र सहित मूल दस्तावेज भूषण स्टील को वापस कर दिए गए थे तथा जो उनके कब्जे में थे। इस प्रकार, भूषण स्टील के पास मौजूद मूल लदान पत्र के उत्पादन के बिना आर्केंडिया द्वारा माल जारी नहीं किया जा सकता था।
- इसलिए, आर्केंडिया द्वारा माल को अनाधिकृत रूप से जारी किया गया था तथा उनके द्वारा इसका हिसाब नहीं दिया गया है। तदनुसार, आर्केंडिया भूषण स्टील को हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी है। आर्केंडिया को भूषण स्टील को बिना किसी ब्याज के माल का मूल्य चुकाना चाहिए।

इन निष्कर्षों के बावजूद, एकल न्यायाधीश ने क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रश्न पर वादपत्र को वापस करने का निर्देश दिया, जैसा कि नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"विवादक सं. 1

27. यह न्यायालय प्रतिवादी सं. 3 के इस प्रतिविरोध से सहमत है कि इस न्यायालय के पास वर्तमान वाद को स्वीकार करने तथा उस पर निर्णय देने की अधिकारिता नहीं है। स्पष्टतः, प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध प्रार्थना की गई अनुतोष प्रदान करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता में कोई वाद हेतुक उद्भूत नहीं होता है। प्रतिवादी सं. 3 मुंबई में अपना व्यवसाय करता है। यह विवाद का विषय नहीं है कि विचाराधीन माल मुंबई में भेजा/लोड किया गया था, माल दुलाई का शुल्क वहीं चुकाया गया था। माल को जिबूती बंदरगाह, इथियोपिया पर वितरित किया जाना था। स्पष्टतः, प्रतिवादी सं. 3 के संबंध में इस न्यायालय की अधिकारिता

को आकर्षित करने हेतु दिल्ली में कोई वाद हेतुक नहीं उठता है। इस न्यायालय के पास प्रतिवादी सं. 3 के संबंध में वर्तमान वाद को स्वीकार करने एवं उस पर निर्णय देने की कोई अधिकारिता नहीं है। यह मुद्दा प्रतिवादी सं. 3 के पक्ष में तथा वादी के खिलाफ तय किया जाता है।

अनुतोष

28. चूंकि इस न्यायालय के पास प्रतिवादी सं. 3 के संबंध में वर्तमान वाद पर विचार करने एवं निर्णय देने की कोई क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है, इसलिए प्रतिवादी सं. 3 के विरुद्ध वादी द्वारा दावा किये गये अनुतोष को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

29. विधि के अनुसार सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए वादी को वादपत्र वापस किया जाये।

5. दिल्ली स्थित उच्च न्यायालय की एक खण्ड न्यायपीठ ने निर्णय/आदेश दिनांक 09.01.2024 के माध्यम से, टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 20.12.2017 द्वारा पारित निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति दी थी।
6. वर्तमान अपील अपीलार्थी-आर्केडिया द्वारा दिल्ली स्थित उच्च न्यायालय की खण्ड न्यायपीठ के निर्णय/आदेश, दिनांक 08.01.2024 के विरुद्ध की गई है।
7. आर्केडिया ने कहा कि दो अलग-अलग लेन-देन हुए: पहला, माल की बिक्री तथा दूसरा, मुंबई से जिबूती तक माल की शिपमेंट। आर्केडिया ने जोर देकर कहा कि उनकी भागीदारी दूसरे लेन-देन तक ही सीमित थी। उल्लेखनीय रूप से, पहले लेन-देन के अभिन्न अंग, आपूर्ति आदेश दिल्ली में दिए गए थे। इस प्रकार, आर्केडिया ने कहा कि दिल्ली में उनके प्रति वाद नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वे पहले लेन-देन का हिस्सा नहीं थे तथा उनका व्यवसाय मुंबई से बाहर था।

8. हमारी राय में, आर्केडिया द्वारा उठाए गए तर्क में कोई गुणागुण नहीं है। लेन-देन आंतरिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा उन्हें अखण्डनीय श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। माल की शिपमेंट, लदान पत्र के माध्यम से भूषण स्टील द्वारा माल की बिक्री से जुड़ी हुई थी। लदान पत्र अनिवार्य रूप से तीन गुना उद्देश्य पूरा करता है: (क) यह भेजे गए माल की रसीद है और जिन शर्तों पर उन्हें प्राप्त किया गया है; (ख) यह माल की दुलाई के संविदा का सबूत है; तथा (ग) यह उसमें निर्दिष्ट माल हेतु स्वत्व का एक दस्तावेज है। नतीजतन, शिपर, आर्केडिया द्वारा माल को छोड़ना, लदान पत्र पर प्राप्तकर्ता, टीवाईओ ट्रेडिंग द्वारा लदान पत्र की प्रस्तुति पर निर्भर थी। हालांकि, लदान पत्र के लिए बैंक ऑफ इथियोपिया द्वारा उचित समर्थन की आवश्यकता थी क्योंकि वे साख पत्र के जारीकर्ता थे। भूषण स्टील माल का मालिक बना रहा। इस तरह, आर्केडिया तथा लेन-देन की कार्रवाइयां एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं। उपर्युक्त वादपत्र के पैराग्राफ 22, 29 और 30 के पठन तथा मामले के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यह हमारे लिए स्पष्ट है कि वाद हेतुक का एक कारण दिल्ली में उद्भूत हुआ था।
9. संहिता के प्रावधानों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा।
10. संहिता की धारा 20(ग) वादी को स्थानीय सीमा के भीतर वाद चलाने का अधिकार देती है, जिसकी अधिकारिता में वाद हेतुक पूरी तरह या आंशिक रूप से उद्भूत होता है। प्रत्येक वाद हेतुक पर आधारित होता है, तथा वाद हेतुक के स्थलों को, आंशिक रूप से भी, न्यायालय को क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान करेगी। 'वाद हेतुक' शब्द को प्रतिबंधात्मक या व्यापक अर्थ दिया जा सकता है। हालाँकि, न्यायिक रूप से इसका अर्थ है - प्रत्येक तथ्य जिसे वादी को निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए सिद्ध किया जाना चाहिये।
11. संहिता के आदेश 1 नियम 3 में कहा गया है कि वादी एक वाद में प्रतिवादी के रूप में उन सभी व्यक्तियों को शामिल कर सकता है, जिनके विरुद्ध वादी एक ही कार्य या लेन-देन या लेन-देन की श्रृंखला के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले अनुतोष के अधिकार का दावा करता है। प्रतिवादीगण के बारे में दावा संयुक्त, कई या वैकल्पिक रूप से हो सकता है। इस प्रकार, एक सिविल वाद दायर करने की अनुमति है, भले ही ऐसे व्यक्तियों के प्रति

अलग-अलग वाद लाए जा सकते हैं, जब विधि एवं तथ्य के सामान्य प्रश्न उद्भूत होते हैं।

12. संहिता का आदेश । नियम 7 किसी वादी को, जो इस बात के विषय में संशय में है कि वह किस व्यक्ति से प्रतितोष प्राप्त करने का हकदार है, दो या अधिक प्रतिवादीगण को सम्मिलित करने की अनुमति देता है, ताकि यह प्रश्न कि प्रतिवादीगण में से कौन उत्तरदायी है, तथा किस सीमा तक, एक ही वाद में तय किया जा सके।
13. आपूर्ति का आदेश दिल्ली में दिया गया था तथा भुगतान दिल्ली में ही जारी किया जाना था। तदनुसार, संहिता की धारा 20(ग) के अनुसार, वाद हेतुक आंशिक रूप से दिल्ली में उत्पन्न हुआ। संहिता के आदेश । नियम 3 व 7 के अनुसार, भूषण स्टील के लिए एक ही वाद में आर्केडिया सहित सभी प्रतिवादीगण को शामिल करना अनुमेय था। अनुतोष के अधिकार का उनका दावा ऐसे सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध है। इसके अलावा, दावा किये गये अनुतोष लेन-देन की एक श्रृंखला, माल की बिक्री तथा फिर उनके शिपमेंट के संबंध में या उससे उत्पन्न हुई थी, जो लेन-देन दावा किये गये अनुतोष से जुड़े और समकालिक थे। सभी प्रतिवादीगण को पक्षकार बनाए बिना वाद हेतुक के न्यायनिर्णयन नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार, आदेश । नियम 3 के अनुसार, भूषण स्टील द्वारा दावा किये गये अनुतोष सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध है, यद्यपि अलग-अलग सीमा तक और 'लेन-देन की एक श्रृंखला के संबंध में तथा उससे उत्पन्न हुई थी'। इस प्रकार, भूषण स्टील को संहिता के आदेश । नियम 7 के अनुसार सभी प्रतिवादीगण को एक ही वाद के तहत शामिल करने का अधिकार था, ताकि प्रत्येक प्रतिवादी के दायित्व की सीमा उसी वाद में तय की जा सके।
14. इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष अर्थात् मुद्दा सं. 1 - क्षेत्रीय अधिकारिता को अपास्त करके सही किया।
15. हालांकि, हमें यह भी दर्ज करना चाहिए कि क्षेत्रीय अधिकारिता के प्रश्न को आम तौर पर शुरू में ही तय कर लेना चाहिए, न कि सभी मामलों के हल होने तक टाल दिया जाना चाहिए। दिनांक 20.09.2017 के निर्णय में, एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि टीवाईओ ट्रेडिंग तथा बैंक ऑफ इथियोपिया पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, इसने माना

कि आर्कडिया पर दायित्व लगाया जा सकता है। विचाराधीन विवाद के संदर्भ में, प्रतिवादीगण के अलग-अलग तथा भिन्न रुख के कारण, उपाय प्रतिवादीगण के खिलाफ एक सिविल वाद दायर करना था, जो तथ्यों के अनुसार दिल्ली में पोषणीय था, क्योंकि वाद हेतुक का एक हिस्सा दिल्ली में उद्भूत हुआ था।

16. इसलिए, एकल न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता की कमी एवं मुंबई में उनके कारोबार के आधार पर दिल्ली में उनके विरुद्ध वाद हेतुक न होने संबंधी अर्काडिया के प्रतिविरोध को बनाये रखने में गलती की थी।
17. उपरोक्त कारणों से, वर्तमान सिविल अपील खारिज कर दी जाती है।
18. लंबित आवेदन(नों), यदि कोई हों, का निपटान किया जाता है।

शीर्ष टिप्पणियां इनके द्वारा तैयार की गई:
राघव भाटिया, मा. सहायक संपादक
(सत्यापन: कानू अग्रवाल, अधिवक्ता)

मामले का परिणाम:
याचिका खारिज कर दी गई।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.